## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
## (पीठासीन अधिकारीः गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

**अपीलार्थी**

1.रामा पुत्र देवाजी, जाति- ग्रासिया, निवासी- कलदरी, तह. शिवगंज, जिला-सिरोही
2.दिलीप पुत्र मंगलाजी, जाति- ग्रासिया, निवासी-कलदरी, तह. शिवगंज, जिला-सिरोही

बनाम

**प्रत्यर्थी**

राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, शिवगंज, जिला- सिरोही

**राजस्व अपील संख्याः 17/2020**

**"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"**

**उपस्थितिः**

1. अधिवक्ता श्री भगवत सिंह देवडा, अपीलार्थीगण की ओर से
2. श्री अश्विन कुमार मरडिया, राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी की ओर से

**-: निर्णय :-** **दिनांक 17 मार्च, 2021**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रकरण संख्या 1/2020 में पारित निर्णय दिनांक 02.6.2020 बाबत ग्राम कलदरी, पटवार हल्का पालडी एम. के खसरा संख्या 1469 रकबा 0.01 बीघा किस्म पहाड भूमि का अपीलार्थीगण को अतिकमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा अपीलार्थीगण को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानते हुए मौके से बेदखल करने के आदेश पारित करने में कानूनन भूल की गई है। यह कि अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामिल होने के बाद अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, शिवगंज में सुनवाई तिथि 05.3.2020 व 18.3.2020 को उपस्थित हुये। उसके बाद कोरोना वायरस के कारण लॉक डाउन होने के कारण प्रकरण में सुनवाई नही हुई। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई तिथि 02.6.2020 की अपीलार्थीगण कोई सूचना दिये बिना ही अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया। इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का अ[illegible] निर्णय पारित किया है, जो विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस [illegible] र नही किया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण का पुरान[illegible] हुआ है जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:08:19 IST
Reason: SelfAttested

....पेज दो पर

अपीलार्थीगण निवास कर रहे है। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानकर बेदखल करने के आदेश पारित किये है, जो विधि सम्मत नही है। अत: अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपीलार्थीगण द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर नीवं खोदकर निर्माण करने के संबंध में तहसीलदार, शिवगंज को शिकायत प्राप्त हुई, जिसकी जांच में विवादित भूमि खसरा संख्या 1469 रकबा 0.01 बीघा किस्म पहाड भूमि पर अपीलार्थीगण द्वारा नीवं खोदकर निर्माण कार्य करवाया जाना पाये जाने पर अपीलार्थीगण को निर्माण कार्य रोकने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी द्वारा पाबन्द किया गया है। उसके बाद हल्का पटवारी, पालडी एम. द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर नीवं खोदकर अतिक्रमण करने के संबंध में रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जिस पर अपीलार्थीगण के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये। जिस पर अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई तिथि 05.3.2020 व 18.3.2020 को उपस्थित हुये। उसके बाद लॉक डाउन के कारण प्रकरण में सुनवाई नही हुई, लेकिन लॉक डाउन हटने के बाद अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.6.2020 को प्रकरण में बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अत: अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, पालडी एम द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध संवत 2076 में ग्राम कलदरी के खसरा संख्या 1469 रकबा 0.01 बीघा किस्म पहाड भूमि पर अतिक्रमण कर नीवं खोदकर मकान बनाने बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किये गये। जिस पर अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई तिथि 05.3.2020 व 18.3.2020 को उपस्थित हुये। उसके बाद प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.3.2020 नियत की गई, लेकिन कोरोना वायरस के कारण लॉक डाउन होने से प्रकरण में सुनवाई तिथि 30.3.2020 व 06.5.2020 को सुनवाई नही हुई। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को आगामी सुनवाई तिथि से सूचित किये बिना ही अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में दिनांक 02.6.2020 को एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। इससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध विवादित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीगण के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि से बेदखल करने के पारित आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण ... के बिन्दु पर अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर ... पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

......पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:08:19 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही (राज.)

अत: अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध विवादित भूमि से बेदखल करने के पारित आदेश दिनांक 02.6.2020 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि बेदखली के बिन्दु पर अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुन: विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय सुनाया गया।

17/3/202

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

न्यायालय अति० जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:08:19 IST
Reason: SelfAttested